

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT  
DELHI SACHIVALAYA, 1.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 03/2023-State Tax (Rate)

Dated: 23/5/2023

No. F.3 (44)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/44/ - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this Government's Notification, No.1/2017- State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (15)/Fin(Rcv-I)/2017-18/DS-VI/382, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, namely: -

In the said notification, -

(i) in Schedule I -2.5%, against S. No. 91A, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -  
"Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery, pre-packaged and labelled; Khandsari Sugar, pre-packaged and labelled; Rab, pre-packaged and labelled";

(ii) in Schedule II -6%, after S. No. 186 and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

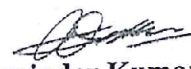
| (1)   | (2)  | (3)                 |
|-------|------|---------------------|
| "186A | 8214 | Pencil sharpeners"; |

(iii) in Schedule III -9%, against S. No. 302A, in column (3), at the end, the brackets and words "[other than pencil sharpeners]" shall be inserted.

2. This notification shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of March, 2023.

Note: - The principal notification No.1/2017- State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (15)/Fin(Rcv-I)/2017-18/DS-VI/382, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017 and was last amended by notification No. 12/2022 - State Tax (Rate) published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (37)/Fin(Exp-I)/2022-23/DS-I/230 dated the 21<sup>th</sup> March, 2023.

By Order and in the Name of the  
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

  
(Ravinder Kumar)  
Dy. Secretary I (Exp.)

No. F.3 (44)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/44/

Dated: 23/05/2023

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. Principal Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. The additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.

  
(Ravinder Kumar)  
Dy. Secretary I (Exp.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनाथ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
वित्त (व्यय-I) विभाग  
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अधिसूचना संख्या- 03/2023-राज्य कर (दर)

दिनांक: 22/5/2023

सं.फा.03(44)/वित्त(व्यय-I)/2022-23/डीएस-I/44/ : दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस सरकार की अधिसूचना संख्या 1/2017-राज्य कर (दर), दिनांक, जिसे सं.फा.03(15)/वित्त(राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/382, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा: -

उक्त अधिसूचना में,-

(i) अनुसूची I - 2.5% में, क्रम संख्या 91क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"गन्ने के गुड़, पलमायरा गुड़ सहित सभी प्रकार के गुड़, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किये गए हों; खांडसारी शुगर, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल की गई हो; राब, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल की गई हो";

(ii) अनुसूची II - 6% में, क्रम संख्या 186 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएँगी, अर्थात्: -

| (1)   | (2)  | (3)                 |
|-------|------|---------------------|
| "186क | 8214 | पेंसिल शार्पनर्स "; |

(iii) अनुसूची III- 9 % में, क्रम संख्या 302क के सामने, कॉलम (3) में, अंत में, कोष्ठक और शब्द "[पेंसिल शार्पनर्स के अलावा]" अंतःस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 1 मार्च, 2023 से प्रभावी होगी।

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-राज्य कर (दर), को सं.फा. 03(15)/वित्त(राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/382, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 12/2022- राज्य कर (दर), जिसे सं.फा.03(37)/वित्त(व्यय-I)/2022-23/डीएस-I/230, दिनांक 21 मार्च 2023, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर

  
(रविन्द्र कुमार)

उप सचिव (व्यय-I)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवेक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

- 1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- 3 प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 4 प्रधान आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
- 5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 11 वेब साइट।
- 12 गार्ड फाइल।



(रविन्द्र कुमार)

उप सचिव (व्यय-I)

IndiaCode